(ङ) 1990 में समीक्षा की गई थी जिसके बाद मुआवजे की राशि में वस्तुतः वृद्धि हुई है।

विवरण

जी नहीं। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है:—

दावाकर्ता, जो कि मृतक अथवा घायल का निकट संबंधी अथवा अधिकृत अभिकर्ता हो सकता है, दुर्घटना की तिथि से एक वर्ष के भीतर मुआवजे के दावे के लिए रेल दावा अधिकरण जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, को रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 के अंतर्गत दावा दायर करना चाहिए। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर अधिकरण द्वारा मामले में डिक्री पारित कर दिए जाते ही रेलवे प्रशासन द्वारा दावाकर्ता को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है। बहरहाल, अधिकरण द्वारा मामले के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:—

(i) दावाकर्ताओं की सुविधा के लिए मुख्यालय खंडपीठ के अलावा स्टेशनों पर समय-समय पर सर्किट खंडपीठें भी स्थापित की जाती हैं;

(ii) किसी भी खंडपीठ में सदस्य की कमी के कारण अपेक्षित होने पर एक खंडपीठ के सदस्यों को अन्य खंडपीठों में तैनात किया जाता है।

(iii) दावाकर्ताओं को उनकी सुविधा और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मामले को एक खंडपीठ से अन्य नजदीकी खंडपीठ को हस्तांतरित करने के उनके अनुरोधों को स्वीकार किया जाता है।

मध्य-प्रदेश को कोयले की आपूर्ति करने के लिए रेल डिब्बों का कोटा

6311. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश को कोयले के लिए रेल डिब्बों के कोटे में वृद्धि करने के संबंध में अब तक की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़): (क) रेलवे ने कोयले के संचालन के लिए कोटे की सभी सीमाएं समाप्त कर दी हैं, मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता अनुसार उद्योगों के लिए कोयले का संचालन प्रत्यायोजित करने के लिए कहा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Employment to land owners for acquisition of land under Konkan Railway Project

6312. **SHRI GUNDAPPA KORWAR:** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to accord preference to persons in employment whose lands have been acquired for Knokan Railway project;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether there is any proposal to set up a separate requirement board for the Corporation?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) Konkan Railway Corporation is following the policy of offering employment to one ward of a family whose land has been acquired, provided the acquisition of land has re-resulted in loss of the sole means of livelihood of the family.

(c) No, Sir.

Difficulties in Exports from Madras Port

6313. **SHRI KRISHAN LAL SHARMA:** Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Southern States of the country are experiencing difficulties and delays in exporting their products through Madras port where the cooling time for the consignments is quite long;

(b) if so, the steps being contemplated to reduce the time at Madras and also to upgrade other ports for the purpose; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir

(b) and (c) The improvement in port performance, productivity and operations is a continuous process. All major ports take necessary steps from time to time to improve their performance, productivity and operations

National Workshop on Road Safety Management

6314. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether a National Workshop on Road Safety Management was organised recently; and

(b) if so, the subjects discussed and the measures recommended by the experts and the participants?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir

(b) Does not arise

Setting up of Rest Areas Along Highways

6315. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have discussed with the State Transport Ministers the policy of creating Rest Areas, alongside major roadways and highways;

(b) if so, details of such discussions;

(c) whether there are any proposals to establish Rest Areas for long-distance road users in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir. However, the Ministry has an ongoing scheme for providing passenger oriented wayside amenities along National Highways under Government Sector as well as under Private Sector participation.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Under Government Sector Scheme, a site at Palamaner on National Highway-4 in Andhra Pradesh has been identified for development of passenger oriented wayside amenities.

प्रमुख पत्तनों की अतिरिक्त क्षमता

6316. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रमुख पत्तनों की वर्तमान क्षमता 172.6 मिलियन टन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने वित्तवर्ष क्षमता को बढ़ाकर 237 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो यह अतिरिक्त क्षमता कब तक सृजित कर ली जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है,

(घ) क्या सरकार ने यह राशि प्राप्त करने हेतु विभिन्न वित्तीय स्रोतों की पहचान कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन स्रोतों से कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) देश के पत्तनों की वर्तमान क्षमता 173.04 मिलियन टन है। आठवीं योजना के अनुसार, योजना के अंत तक क्षमता को बढ़ा कर 237 मिलियन टन किया जाना है।

(ग) नौवीं योजना के प्रारंभ में 237 मिलियन टन की क्षमता प्राप्त कर ली जाएगी। तथापि, इसमें से 216 मिलियन टन की क्षमता तो आठवीं योजना 1992-97 में ही प्राप्त कर ली जाएगी। आठवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ 2984 करोड़ रु० का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।